

## अनुबन्ध- I

तारीख	कोल सेक्टर में मील के पथर
<b>1972 एवं 1973</b>	कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में किया गया था। प्रथम चरण (1972) में कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। द्वितीय चरण (1973) में गैर-कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कोयला खानों जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सका उनकों निजी पट्टा धारकों द्वारा काम करने की अनुमति दी गई।
<b>नवम्बर 1975</b>	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एक धारक कम्पनी, कोयला मंत्रालय (एमओसी) के अधीन स्थापित की गई।
<b>1976</b>	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निजी पट्टा धारकों के साथ सभी खनन पट्टों को समाप्त कर दिया सिवाय उन आयरन और स्टील उत्पादकों के जिनको केप्टिव उपयोग के लिए अधिनियम द्वारा कोयला खनन जारी रखने की अनुमति थी।
<b>14 जुलाई 1992</b>	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 में निहित कोयले के केप्टिव खनन के लिए प्रावधानों को कार्यान्वित करने के क्रम में, कोयला शासी विधियों के प्रावधानों के तहत केप्टिव खनन एवं विकास हेतु कोयला ब्लॉकों के आवंटन में रुचि रखने वाले विभिन्न कम्पनियों द्वारा दिए गए आवेदनों पर विचार करने के लिए एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एमओसी द्वारा एक जाँच समिति गठित की गई थी। कई कोयला ब्लॉकों, जो सीआईएल और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) के उत्पादन योजना में नहीं थे को सीआईएल/एससीसीएल के परामर्श से चिन्हित किए गए थे और 143 कोयला ब्लॉकों की एक सूची बनायी गई थी तथा एमओसी द्वारा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सूचना हेतु वेबसाइट पर डाल दी गई।
<b>जून 1993</b>	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 1993 पारित किया गया जिसमें आयरन और स्टील उत्पादन के अतिरिक्त बिजली उत्पादन में लगे हुए भारतीय कम्पनियों को उनको केप्टिव उपयोग के लिए कोयला खनन की अनुमति दी गई। इसमें निजी कम्पनियों द्वारा पिट हेड पर खानों से प्राप्त कोयले के प्रक्षालन की भी अनुमति दी गई।
<b>15 मार्च 1996</b>	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में समर्थकारी प्रावधानों को समाविष्ट कर अन्त उपयोग के रूप में सीमेंट क्षेत्र को अधिसूचित किया गया था।

<b>फरवरी 1997</b>	कैबिनेट ने एक भारतीय कम्पनी द्वारा गैर-केप्टिव कोयला खनन अनुमति के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
<b>24 अप्रैल 2000</b>	वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला खान आबंटन की मांग करने वाली भारतीय कम्पनियों के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2000 राज्यसभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक को ट्रेड यूनियनों जिन्होंने इसे अवैज्ञानिक खनन और श्रम शोषण के रूप में व्यक्त किया, के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। यह विधेयक सभा में लंबित है।
<b>28 दिसम्बर 2005</b>	कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा श्री टी.एल शंकर अध्यक्ष उर्जा ग्रुप प्रशासनिक स्टाफ कालेज आफ इंडिया की अध्यक्षता में) कोयला क्षेत्र सुधार हेतु सात सदस्यों की विशेषज्ञ समिति गठित की गई और इनकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई।
<b>फरवरी 2006</b>	सरकार ने कोयला खानों (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अंतर्गत अनुमत विद्युत, लोहा और इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों एवं अन्य उपयुक्त क्रियाकलापों में कम्पनियों द्वारा केप्टिव कोयला खनन के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी।
<b>12 जुलाई 2007</b>	कोल गैरीकरण (भूमिगत और सतह) और कोल द्रवीकरण के द्वारा प्राप्त सिंथेटिक गैस के उत्पादन को केप्टिव खनन के उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट अंत उपयोगों के रूप में अधिसूचित किया गया था।
<b>17 अक्टूबर 2008</b>	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) 1957 संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसमें उक्त अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए सभी खनिजों में प्रतिस्पर्धात्मक बोली लागू करने के प्रणाली पर विचार किया गया।
<b>08 सितम्बर 2010</b>	एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया गया था।
<b>02 फरवरी 2012</b>	एमओसी ने कोयला खान नियमावली 2012 का प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा नीलामी अधिसूचित किया।

## अनुबंध-II

कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की मुख्य अनुशंसाएं  
(श्री टी.एल शंकर की अध्यक्षता में) 2005

कोयला मंत्रालय ने दिसम्बर 2004 को श्री टी.एल शंकर की अध्यक्षता में सात सदस्यों की एक समिति गठित की। विशेषज्ञ समिति को कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण करने के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार करना था। समिति ने दिसम्बर 2005 में रिपोर्ट का भाग-I प्रस्तुत की जिसमें तत्काल प्रासंगिकता अर्थात् कम से मध्यम अवधि (2011-12) के मामले को मूलरूप से मामले को कवर किया गया था। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा ने इस संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ विशेषज्ञ समिति के अनुशंसाएं पर विचार किया है। अनुशंसाएं की मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं:

- भारतीय कोयला उद्योग में कीमत का विनियमन सहित आवश्यक आपूर्ति विकल्प के रूप में आयात विकल्प कार्य को रखना जो अन्य उपभाक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए आपूर्ति करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी कोयला बाजार की अनुमति देते समय विद्युत उत्पादन के लिए कोयला की कम लागत आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा।
- रेलवे को मुख्य कोरिडोरों जिसके द्वारा विद्युत संयंत्रों में अधिक मात्रा में कोयला जायेगा को सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग और कोयला एवं विद्युत मंत्रालय से परामर्श लेना चाहिए और कोयला परिवहन के लिए लागत और समर्पित ट्रंक मार्गों का गठन करने के लिए व्यवहार्यता की जाँच करनी चाहिए।
- संगठन जिसके पास कोयले की आयात करने का लम्बे अनुभव हो को कम अवधि की आपूर्ति प्रबंधन कार्यक्रम को कार्यान्वयन में सह-विकल्प दिया जाना चाहिए।
- सीआईएल के उन्नयन की स्थिति ।
- कम से मध्यम अवधि में कोयला उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से अंशदान करने के लिए आंतरिक खनन की भूमिका पर बल ।
- कोयला ब्लॉकों के आबंटन की पद्धति और प्रक्रियाएं को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से आंतरिक कोयला ब्लॉकों के आबंटन को शीघ्रता से सुधार करने की आवश्यकता है।
- आंतरिक खनन के लिए रिजर्वों के अनुमानित और निर्दिष्ट श्रेणियों सहित कोयला ब्लॉकों को मुक्त करना जिससे कम से मध्यम अवधि में कोयला खनन में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं हो पायगा।
- खान विकास के दौरान अथवा खान परिचालनों के दौरान आवधिक अधिशेषों को कोयले की उसी मात्रा के लिए प्लस बैंड या सीआईएल के घटाव 10 प्रतिशत सहित समझौता कीमत पर सीआईएल/एससीसीएल को बेचना चाहिए।
- अधिकांश मामले में संबंधित राज्य सरकार से भूमि और खनन पट्टा के लिए पर्यावरणीय अनुमति, स्वीकृति प्राप्त करने और उसके पश्चात् भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में मुख्य विलम्ब होता है। कोयला मंत्रालय को स्वीकृति और राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा

अनुमति का मानीटर करने में सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। सचिवों के अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समिति का गठन चार से छः महीने की समय सीमा के अन्दर पर्यावरण अनुमति को लागू करने के लिए विचार के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।

- बैंक गारंटी जमा करना जिसमें से 50 प्रतिशत गारंटीकृत उत्पादन से और 50 प्रतिशत अंत उपयोग परियोजनाओं के गठन से संबंधित हो।
- ऐसे मामले में उत्पादन के लिए आबंटित खानों को लाने और अंत उपयोग संयंत्रों का गठन करने और बीजी का नकदीकरण करने में यदि आबंटी विफल होता है तो पहले जारी किए गए लाइसेंसों को रद्द करने के लिए विधिक उपाय।
- देश के अंदर और बाहर सभी प्रख्यात एजेंसियों को शामिल कर 3 लाख मीटर प्रतिवर्ष से कम से कम 15 लाख मीटर प्रतिवर्ष सीएमपीडीआईएल की ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाकर "साबित" श्रेणी रिजर्वों को बढ़ाने के लक्ष्य पर XIवीं योजना में विस्तृत अन्वेषण और ड्रिलिंग का कार्यक्रम लंच करना।
- आरम्भ में घरेलू उत्पादन का न्यूनतम 10 प्रतिशत के लिए ई-निलामी बिक्री और उसके पश्चात् तीसरे वर्ष तक 20 प्रतिशत और 5 से 7 वर्ष की अवधि में 30 प्रतिशत तक पहुँच।
- सीआईएल ब्लॉकों को अनारक्षण करना जिसे 2026-27 के पहले उत्पादन में नहीं लाया जा सकता है।
- रेलवे, कोयला और विद्युत मंत्रालय को एफएसटीए के अच्छी तरह से कल्पित मॉडल को तैयार करने के लिए साथ-साथ काम करना चाहिए। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों एफएसटीए को स्वीकार करते हैं और इनके प्रावधानों के अनुसार निष्पादन करते हैं।
- घरेलू कोयला उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आपातकालिन उत्पादन योजना सहित सीआईएल के उत्पादन संयंत्रों को पूर्णतया कार्यान्वित करने के लिए XIवीं योजना के अंत तक सभी परियोजनाओं की अनुमति और परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करने के लिए स्थायी विशेष कार्य बल का गठन को पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

### अनुबंध-III

#### निजी पार्टियों को आंबेटित ओपन कारस्ट खान के मामले में निष्कर्षणीय रिजर्व

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	राज्य	ब्लॉक का नाम	उत्तापक/गेर उत्तापक	आंबेटन की तिथि	सेवटर	जीआर(100%) मिलियन टन में	क्षय एवं-पी उपलब्ध है (हाँ/नहीं)	वार्ताविक पर निष्कर्षणीय रिजर्व (जहाँ एम्पी उपलब्ध है, जीआर का 73 प्रतिशत जहाँ एम्पी उपलब्ध नहीं है) (मिलियन टन में)										
									ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के
1	अभिजीत इन्फॉरस्ट्रक्चर लि.	झारखण्ड	i) ब्रिंवा	गेर उत्तापक	26 मई-05	संघ आयरन		नहीं											
2	अभिजीत इन्फॉरस्ट्रक्चर लि.	झारखण्ड	ii) सासई	गेर उत्तापक	26 मई-05	संघ आयरन	77.000	नहीं											56.210
3	अभिजीत इन्फॉरस्ट्रक्चर लि.	झारखण्ड	iii) मेल	गेर उत्तापक	26 मई-05	संघ आयरन		नहीं											
4	उषा मार्टिन लि.	झारखण्ड	लोहारी	गेर उत्तापक	24 अगस्त 05	स्टील	11.765	हाँ	9.045										
5	नीलाचल आयरन एण्ड पावर जेनरेशन तथा बजरंग इस्पात	झारखण्ड	डुमरी (अन्तर्वित)	गेर उत्तापक	13 जन. -06	संघ आयरन	55.988	हाँ											40.854
6	भृष्ण स्टील एण्ड स्ट्रिप लि. एण्ड अदर्स	आडिसा	न्यू पत्रपारा	गेर उत्तापक	13 जन-06	संघ आयरन	433.000	नहीं											316.090
7	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग एण्ड अदर्स	झारखण्ड	नार्थ घाटु	गेर उत्तापक	13 जन-06	संघ आयरन स्टील	923.945	हाँ											340.054
8	एसरार पौवर लि. एण्ड हिंडलको	मध्य प्रदेश	माहान	गेर उत्तापक	12 अप्रैल 06	पावर	144.208	हाँ											121.958
9	संस्टर माईन्स लि.	झारखण्ड	बुदु	गेर उत्तापक	25 अप्रैल 06	संघ आयरन	102.268	हाँ											32.167
10	संस्टर माईन्स लि. एण्ड अदर्स	ओडिशा	राधिकापुर वेरट	गेर उत्तापक	25 अप्रैल 06	संघ आयरन	288.440	नहीं											210.561

निषादन लेखापरीक्षा  
कोयला ब्लाकों का आंबेटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	राज्य	ब्लॉक का नाम	उत्तादक/गेर उत्तादक	आबंटन की तिथि	सेवटर	जीआर(100%) मिलियन टन में	क्षया एम्पी उत्तादक है (हाँ/नहीं)	वास्तविक पर निष्कर्षणीय रिजर्व (ईआर)- (मिलियन टन में)	
ए	वी	सी	जी	ई	एफ	जी	प्व	आई	जे	के
11	एस्सार पावर जेनरेशन लि.	झारखण्ड	चकला	गेर उत्तादक	20 फर.-07	पावर	83.101	हाँ	71.140	71.140
12	जेएसपीएल	झारखण्ड	जितापुर	गेर उत्तादक	20 फर.-07	पावर	81.095	हाँ	65.535	65.535
13	हिंडलको एण्ड टाटा पावर लि.	झारखण्ड	टूबूड	गेर उत्तादक	1 अगस्ट-07	पावर	189.823	हाँ	130.000	130.000
14	डी.सी. पावर लि.	छत्तीसगढ़	दुर्गपुर II /सरिया	गेर उत्तादक	6 नव.-07	पावर	91.672	नहीं	66.921	66.921
15	अदानी पावर लि.	महाराष्ट्र	लोहारा वेर्स्ट एक्सटेंशन	गेर उत्तादक	6 नव.-07	पावर	169.832	हाँ	140.000	140.000
16	सीईएससी लि. एण्ड जेएस इंफ्राट्रक्चर	झारखण्ड	माहुआगढ़ी	गेर उत्तादक	9 जन-08	पावर	220.000	नहीं	160.600	160.600
17	मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लि; टाटा पावर एण्ड जिन्सल फोटो लि.	ओडिशा	मंदाकिनी-ए	गेर उत्तादक	9-जन-08	पावर	322.796	हाँ	287.886	287.886
18	जेएसपीएल एण्ड गगन स्प्लज आयरन लि.	झारखण्ड	अमरकोण्ड मुगादिगाल	गेर उत्तादक	17-जन-08	पावर	410.000	नहीं	299.300	299.300
19	एसकोएस इस्पात एण्ड पावर लि. एण्ड प्रकाश इंडस्ट्रिज	छत्तीसगढ़	फतेहपुर	गेर उत्तादक	6-फर.-08	पावर	120.000	नहीं	87.600	87.600

निषादन लेखापरीक्षा  
कोयला ब्लॉकों का आबंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन

20	संगट माइन्स लि. एड सप्टेंसरी आयरन एण्ड स्टील लि.	झारखण्ड	चोरीतद तोतिया	गैर उत्पादक	14 मई-08	पिंग आयरन	97.000	नहीं		70.810
21	जेएसडब्ल्यू स्टील लि. भूषण स्टील एण्ड पावर, जय बालाजी इंजिनीजर	झारखण्ड	रोहने	गैर उत्पादक	5 जून-08	स्टील	242.000	हाँ		191.000
22	मुकुंद लि. विनी आयरन एड स्टील उद्योग लि.	झारखण्ड	राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एड इंस्टर्ट)	गैर उत्पादक	20 नव-08	स्टील	22.525	हाँ		15.609
23	स्ट्रेटेजिक एनर्जी तकनीकी सिस्टम लि.	ओडिशा	अखण्डपाल का नार्थ	गैर उत्पादक	27 फर-09	सीटीएल	1500.000	नहीं		1095.000
24	टाटा स्टील लि. एड अधिकारिक थर्मल एनर्जी लि.	झारखण्ड	गोपेश्वर	गैर उत्पादक	28 मई-09	पावर	137.000	नहीं		100.010
25	हिमचल इंगिनीयर/जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	पश्चिम बंगाल	गोराखीह एवीसी	गैर उत्पादक	10 जुलाई-09	पावर	129.150	हाँ		61.540
										कुल जोड़ 3,969.890

## अनुबंध - IV

**निजी पारियों को आवंटित मिश्रित खदानों जहाँ खनन योजना उपलब्ध है, के मामले में निकरणीय रिजर्व**

क्रमांक	कंपनी का नाम	राज्य	खड़क का नाम	उत्पादक/गैर उत्पादक	आवंटन की तिथि			सेवटर	जीआर (100% मिलियन टन में)	आंकी के लिए एमपी के अनुपार वार्षिक प्र निष्कर्षीय रिजर्व (ईआर) (मिलियन टन में)
					ई	सी	जी			
26	जायशवल नेको लिमिटेड	झारखंड	मोइत्रा	गैर-उत्पादक	13-मई-05	स्टील	215.790	38.160	29.910	
27	इंटरकॉर्स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड	झारखंड	पर्बतपुर ए सी	उत्पादक	7-जुलाई-05	पिंग आयरन	235.718	7.150	5.720	
28	दाता स्टील लिमिटेड	झारखंड	i) कोटेर बसान्त-पुर	गैर-उत्पादक	11-अगस्त-05	स्टील	148.399	उ न	93.052	
29	दाता स्टील लिमिटेड	झारखंड	ii) पंचमा	गैर-उत्पादक	11-अगस्त-05	स्टील	101.992	80.418	61.276	
30	कारपोरेट स्टील एवं एलंगेस लिमिटेड	झारखंड	चित्रपुर	गैर-उत्पादक	2-सितम्बर-05	संज आयरन	174.623	उ न	58.660	
31	टापवर्क ऊर्फ़ एवं मेटल्स लिमिटेड (पूर्व में श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)	महाराष्ट्र	मार्की मार्गी-III	गैर-उत्पादक	6-सितम्बर-05	संज आयरन	6.190	उ न	4.200	
32	टापवर्क ऊर्फ़ एवं मेटल्स लिमिटेड (पूर्व में श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)	महाराष्ट्र	मार्की मार्गी-II	गैर-उत्पादक	6-सितम्बर-05	संज आयरन	11.540	उ न	6.730	
33	लिमिटेड (पूर्व में श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)	महाराष्ट्र	मार्की मार्गी-IV	गैर-उत्पादक	6-सितम्बर-05	संज आयरन	4.890	उ न	3.035	
34	भूषण पावर एवं स्टील लिमिटेड	ओडिशा	विजहान (अनन्वेचित खड़क)	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	संज आयरन	327.046	185.113	161.200	

निषादन लेखापरीक्षा  
कोयला खड़कों का आवंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन

निषादन लेखापरीक्षा  
कोयला ब्लाकों का आबंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन

35	जेएसपीएल एण्ड नल्ला संज आयरन लिमिटेड	छतीसगढ़ ग्रे पल्मा IV/6	गैस-उत्पादक 13-जनवरी-06	संज आयरन	158.097	73.985	66.371
36	जायसवाल नेको लिमिटेड	छतीसगढ़ ग्रे पल्मा IV/8	गैस-उत्पादक 13-जनवरी-06	स्टील	107.204	14.819	11.750
37	अल्ट्रोटेक एण्ड अदर्स	छतीसगढ़ मदनपुर नार्थ	गैस-उत्पादक 13-जनवरी-06	पावर संज आयरन	213.460	113.820	94.960
38	मदनपुर साउथ (लिंग्स्टी आफ विद्युत्सान जिक लिमिटेड)	छतीसगढ़ मदनपुर साउथ	गैस-उत्पादक 13-जनवरी-06	पावर संज आयरन	180.490	146.170	115.740
39	छतीसगढ़ कैचिव कोल माइनिंग लि. (जेवीसी आफ इस्यात गोदावरी एण्ड अदर्स)	छतीसगढ़ नाकिया I	गैस-उत्पादक 13-जनवरी-06	संज आयरन	359.850	105.030	98.320
40	छतीसगढ़ कैचिव कोल कम्पनी लि. (जेवीसी आफ इस्यात गोदावरी एण्ड अदर्स)	छतीसगढ़ नाकिया II	गैस-उत्पादक 13-जनवरी-06	संज आयरन			
41	टाटा संज एण्ड अदर्स	ओडीसा राधिकापुर पूर्व	गैस-उत्पादक 7-फरवरी-06	संज आयरन	183.429	172.083	105.240
42	बाल्को	छतीसगढ़ दुग्गपुर II /तारैमार	गैस-उत्पादक 6-नवम्बर-07	पावर	211.366	96.990	70.120
43	सोवा इस्पात एण्ड जय बालाजी स्प्ल लिमिटेड	पश्चिम बंगाल अर्धग्राम	6विसम्बर-07	संज आयरन	25.600	2.143	1.863
44	विरला कारपोरेशन लिमिटेड	मध्य प्रदेश बिक्रम	गैस-उत्पादक 12-अगस्त-08	सीमेंट	20.975	4.655	3.758
45	इलेक्ट्रोथर्म (ईडिया) लिमिटेड, थीसेम इण्डस्ट्रीज	छतीसगढ़ भाष्टरपारा	गैस-उत्पादक 21-नवम्बर-08	संज आयरन	46.910	ठ न	18.670
				कुल		1010.575	

## अनुबंध - V

निजी पार्टियों को आंबंटि॒त मि॒श्रि॒त खदा॒नों जहाँ खनन योजना उपलब्ध नहीं हैं, के मामले में निष्कर्षणीय रिजर्व

क्रमांक	कंपनी का नाम	राज्य	ब्लॉक का नाम	उत्पादक/गैर-उत्पादक	आंबंटन की तिथि	सेक्टर	जीआर (100%) मिलियन टन में	जीआर <sup>1</sup> का 37 % पर निष्कर्षणीय रिजर्व (मिलियन टन में)
५	वी				ई			= एच*३७/१००
46	डेमाको स्मोकलेस फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड	आरखंड	लालगढ़ नार्थ	गैर उत्पादक	८-जुलाई-०५	पिं आयरन	27.088	10.023
47	एस्सार पावर लिमिटेड	आरखंड	अशोक करकता सेंट्रल	गैर उत्पादक	६-नवम्बर-०७	पावर	110.000	40.700
48	भूषण पावर एण्ड स्टील लिमिटेड	झारखंड	पाटल ईस्ट	गैर उत्पादक	६-नवम्बर-०७	पावर	200.000	74.000
49	एईएस छतीसगढ़ एनजी प्राइवेट-लिमिटेड	छतीसगढ़	सायंग	गैर उत्पादक	६-नवम्बर-०७	पावर	150.000	55.500
50	ओर्सेलर मित्रल ईडिया लिमिटेड एण्ड जीवीके पावर्स (जी. साहिब)	आरखंड	सेंगढ़	गैर उत्पादक	९-जनवरी-०८	पावर	150.000	55.500
51	स्टीलाइट एनजी, जीएमआर एनजी, ओर्सेलर मित्रल ईडिया लि., लैंका प्रूप, नवभारत पावर (आईपीपी), रिलायंस एनजी		रास्मिया डिप साइड	गैर उत्पादक	१७-जनवरी-०८	पावर	645.235	238.737
52	स्टीलाइट एनजी, जीएमआर एनजी, ओर्सेलर मित्रल ईडिया लि., लैंका प्रूप, नवभारत पावर (आईपीपी), रिलायंस एनजी		रास्मिया	गैर उत्पादक	१७-जनवरी-०८	पावर		

निषादन लेखापरीक्षा  
कोयला ब्लॉकों का आंबंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन

53	जेएलडी यावतमाल एनर्जी, आरकेप्पम पावरसेन, वन्दना विद्युत, वैसा पावर, गीना इफास्ट्रक्चर	छतीसगढ़ फटोहातुर ईरट	गेर उत्थातक	23-जनवरी-08	पावर	500,000
54	विहार संज आयरन कंपनी लिमिटेड	झारखंड मावेरुपाड़ा	गेर उत्थातक	5-अगस्त-08	संज आयरन	23,860
55	जिकल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड ऑडिसा	जमचण्डी प्रमोशनल ब्लाक	गेर उत्थातक	27-फरवरी-09	सीटीएल	1500,000
56	खंटा माइन्स लिमिटेड/कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड मेननीराय	गेर उत्थातक	28-मई-09	पावर एण्ड संज आयरन	80,830
57	आईएसटी स्टील एण्ड पावर, गुजरात अंबुजा सिमेंट्स, लाफर्न इंडिया लिमिटेड	छतीसगढ़ लहेगाँव मकरडोकरा	गेर उत्थातक	17-जनवरी-09	स्टील/ सीमेंट/ सीमेंट	132,000
						48,840
					कुल	1,302,035

<sup>1</sup> मिश्रित खानों जहाँ खान योजनाएं उपलब्ध थे के निष्कर्षणीय ओसी रिजर्वों की ओसत पात्रा पर आधारित 37% तेयार किया गया है।

